



प्रेस नोट - दिनांक 07.05.2026

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव ।

चोरी के इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में दो अभियुक्तों को चोरी का इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.05.2026 को वादी श्री अली हुसैन नि० अहमद नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा थाना गंगाघाट में मु०अ०सं०236/2026 धारा 303(2) BNS पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 07.05.2026 को थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित अभियुक्तगण 1. विशाल निषाद पुत्र देवीदीन नि० कटहादल नरायन पुर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष 2. सोम्य कुमार पावत उर्फ मेन्डी पुत्र सुनील कुमार रावत नि० सर्वोदय नगर गंगाघाट उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष को कब्जे से चोरी का एक अदद इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद कर नेतुआ मोड निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. विशाल निषाद पुत्र देवीदीन निवासी कटहादल नरायन पुर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष
2. सोम्य कुमार रावत उर्फ मेन्डी पुत्र सुनील कुमार रावत निवासी सर्वोदय नगर गंगाघाट उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी -

1. एक अदद इलेक्ट्रॉनिक तराजू

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० राजेन्द्र सिंह चौहान
2. हे०का० सुशील शर्मा
3. का० अम्बरीश कुमार
4. का० युगेश प्रजापति
5. रि०का० अभिषेक सिंह
6. रि०का० साहिल





प्रेस नोट - दिनांक 07.05.2026

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव ।

जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा एक जिला बदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 07.05.2026 को उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान मय हमराह फोर्स द्वारा जिला बदर अपराधी सूरज निषाद पुत्र जगन्नाथ निवासी मोहल्ला चम्पापुरवा थाना गंगाघाट उन्नाव को मोहल्ला गोताखोर शाहीनगर से गिरफ्तार किया गया। जिला बदर के आदेश का पालन न करने के संदर्भ में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 237/2026 धारा 4/10 उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सूरज निषाद पुत्र जगन्नाथ निवासी मोहल्ला चम्पापुरवा थाना गंगाघाट उन्नाव

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

सूरज निषाद पुत्र जगन्नाथ निवासी चम्पापुरवा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव	1	228/15	307 भादवि गंगाघाट
	2	232/15	307/504/506 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट गंगाघाट
	3	046/17	41 सीआरपीसी व 411/413 भादवि जीआरपी उन्नाव
	4	035/18	380 भादवि जीआरपी उन्नाव
	5	520/18	380 भादवि गंगाघाट
	6	723/18	3/25 आर्म्स एक्ट गंगाघाट
	7	049/19	380 भादवि जीआरपी उन्नाव
	8	076/19	307 भादवि गंगाघाट
	9	729/19	18/20 एनडीपीएस एक्ट गंगाघाट
	10	014/20	3/25 आर्म्स एक्ट जीआरपी उन्नाव

11	निल/20	3/4 गुण्डा अधि० गंगाघाट
12	313/21	8/20 एनडीपीएस एक्ट गंगाघाट
13	524/21	4/10 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम गंगाघाट
14	527/21	411 भादवि गंगाघाट
15	29/22	457/380/411 भादवि गंगाघाट
16	172/22	2/3 यू०पी० गैरेस्टर एक्ट गंगाघाट
17	235/23	8/20 एनडीपीएस एक्ट गंगाघाट
18	396/24	8/20 एनडीपीएस एक्ट गंगाघाट
19	447/24	/137(2)/87 बीएनएस गंगाघाट
20	336/25	333/351(3)/352 बीएनएस व 3(1) द ध एससीएस टी एक्ट
21	578/25	305(अ)/317(2)/331(4) बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट गंगाघाट

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० श्री राजेन्द्र सिंह चौहान
- 2.का० विकल कुमार
- 3.का० इमरान खान





प्रेस नोट - दिनांक 07.05.2026

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

सोने की चैन चुराने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा सोने की चैन चुराने वाली अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 23.04.2026 को थाना कोतवाली पर वादिनी मुकदमा सुशीला कन्नौजिया पति राकेश कुमार पता 791 ए0बी0 नगर डी0सन0एन0 कालेज रोड उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली सदर पर तहरीरी सूचना दी गई कि अज्ञात महिला द्वारा वादिनी की सोने की चैन चोरी कर ली गई है। वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 242/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग से सम्बन्धित चोरी के माल की बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक चन्द्र कान्त मिश्र द्वारा गठित की गयी टीम द्वारा दौराने विवेचना आज दिनांक 07.05.2026 को दिन में मुखबिर की सूचना पर सिन्धूपुर मोड से सोनी पत्नी आनंद चौहान निवासिनी सर्वेश नगर निकट गोविन्द देव मंदिर जनपद दौसा राजस्थान उम्र करीब 35 वर्ष को कब्जे से चोरी की चैन को बेचने से प्राप्त रूपये 9500/- बरामद कर गिरफ्तार किया गया। पकडी गयी अभियुक्ता द्वारा दिनांक 23.04.2026 को महिला से चुराई चैन की घटना को स्वीकार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2)/317(4) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्ता को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1. सोनी पत्नी आनंद चौहान निवासिनी सर्वेश नगर निकट गोविन्द देव मंदिर जनपद दौसा राजस्थान उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी -

1. 9500 रूपये बरामद (चोरी की गयी चैन को बेचने के बाद बचे रूपये)

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 281/2018 धारा 380/411/414 भादवि जीआरपी बरेली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० चन्द्र कान्त मिश्र थाना कोतवाली सदर उन्नाव
2. उ०नि० अनिल कुमार साहू
3. हे०का० शादाब खान ,
4. का० निशांक यादव
5. म०का० साक्षी
6. म०का० सोनाली

